न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 51/2020 वाद

मोड सिंह पिता देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. देवी सिंह पिता गोरधन सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. विजय सिंह पिता देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. रेखा कुंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया, अधिवक्ता वादी उपस्थित

श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक 24.07.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजी वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 133 की आराजी नं. 295, 769, 770, 808, 812, 813, 883/294, 884/299 कुल किता 8 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा इस प्रकार है–

देवी सिंह

↓

मोड सिंह | विजय सिंह | रेखा कुंवर

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] सिंह के दो पुत्र मोड सिंह व विजय सिंह तथा 1 पुत्री रेखा कुंवर [illegible] प्र[illegible]गत आराजीयात वादी के दादा गोरधन सिंह के जमाने से चली आ रही [illegible] जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के यहां जन्म लेते ही ब[illegible] हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत हक अधिका[illegible]हित हुआ तथा इस भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा निहित है और इसी अनुसार काबिज होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काश्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

चले आ रहे हैं। वादी ने इसी अनुसार बंटवारा कराने व भूमि नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इसलिए मजबुरन वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा विवादित भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादी के कथनों को स्वीकार किया और वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम कचरियाखेडी की खाता संख्या 133 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस ग्राम कचरियाखेडी प्रस्तुत किया। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजीनामें के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2055-58 ग्राम कचरियाखेडी की खाता संख्या 42 व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार उक्त भूमि पूर्व में गोरधन सिंह पित जोरावर सिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी ताईद मिलान क्षेत्रफल से भी होती हैं। प्रश्नगत भूमि देवी सिंह को पिता की विरासत से प्राप्त हुई होना साबित है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से ही हित निहित माना जा सकता है। पक्षकारान ने राजीनामा भी प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 133 की आराजी नं. 295, 769, 770, 808, 812, 813, 883/294, 884/299 कुल किता 8 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर दर्ज किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 24.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 51/2020 वाद

मोड सिंह पिता देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादी

//बनाम//

1. देवी सिंह पिता गोरधन सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. विजय सिंह पिता देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. रेखा कुंवर पुत्री देवीसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कचरियाखेड़ी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

पत्रावली में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश मेनारिया तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सोलंकी की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा कचरियाखेड़ी की खाता संख्या 133 की आराजी नं. 295, 769, 770, 808, 812, 813, 883/294, 884/299 कुल किता 8 कुल रकबा 3.5900 हैक्टेयर में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर दर्ज किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 24.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official